रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052022-235602
CG-DL-E-06052022-235602

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 6, 2022/वैशाख 16, 1944
No. 326] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 6, 2022/VAISAKHA 16, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2022

सा.का.नि. 341(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 के खंड (23चङ) के स्पष्टीकरण 3 और धारा 10 के खंड (23चङ) के चौथें, पांचवें और छठें परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर संशोधन (तेरहवां संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में नियम 2 घग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"2घगक. अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के प्रयोजन के लिए न्यूनतम विनिधान का योग और आय में छूट। (1) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के प्रयोजन के लिए उपखंड (iii) की मद (ग) मद (घ) और मद (ङ) में निर्दिष्ट प्रतिशत और चौथे, पांचवे और छठे परन्तुक में निर्दिष्ट आय में छूट इस नियम के अनुसार संगणित की जाएगी।

(2) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ग) में निर्दिष्ट प्रतिशत निम्नलिखित रीति से संगणित किया जाएगा, अर्थात् :-

(क+ग+घ) * 100

ख

जहां,-

क = वित्तीय वर्ष 2021-2022 से प्रारंभ होने वाले और सुसंगत पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष को समाप्त होने वाले सभी वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ख) में निर्दिष्ट एक या एक से अधिक कंपनी या उद्यम या अस्तित्व में या अधिनियम की धारा 2 के खंड (13क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट अवसंरचना विनिधान न्यास में वैकल्पिक विनिधान निधि के तुलनपत्र में दर्शित पात्र विनिधान का योग ;

ख = वित्तीय वर्ष 2021-2022 से प्रारंभ होने वाले और सुसंगत पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष को समाप्त होने वाले सभी वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को वैकल्पिक विनिधान निधि के तुलनपत्र में दर्शित पात्र विनिधान का योग ;

ग = वित्तीय वर्ष 2021-2022 से प्रारंभ होने वाले और सुसंगत पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष को समाप्त होने वाले सभी वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (घ) में निर्दिष्ट एक या एक से अधिक घरेलू कंपनियों में उपनियम (3) के अनुसार विनिश्चित उन घरेलू कंपनी या कंपनियों के लिए गुणित अवसंरचना विनिधान न्यास में वैकल्पिक विनिधान निधि के तुलनपत्र में दर्शित पात्र विनिधान का योग; और

घ = वित्तीय वर्ष 2021-2022 से प्रारंभ होने वाले और सुसंगत पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष को समाप्त होने वाले सभी वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ङ) में निर्दिष्ट एक या एक से अधिक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में उपनियम (4) के अनुसार विनिश्चित उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या कंपनियों के लिए गुणित अवसंरचना विनिधान न्यास में वैकल्पिक विनिधान निधि के तुलनपत्र में दर्शित पात्र विनिधान का योग;

परन्तु वित्तीय वर्ष 2021-22 के मामले में जो, सुसंगत पूर्व वर्ष है, धनराशि क, ख, ग और घ 31 मार्च, 2022 तक वित्तीय वर्ष 2021-22 के तुलनपत्र में दर्शित पात्र विनिधान के योग का प्रयोग करते हुए, संगणित की जाएगी;

परन्तु और यह है कि उस मामले में जहां सुसंगत पूर्व वर्ष वह वर्ष है, जिसमें पहला विनिधान वैकल्पिक विनिधान निधि द्वारा किया गया है, तो उपरोक्त धनराशि उस वर्ष की अंतिम तारीख तक सुसंगत पूर्व वर्ष की उसके तुलनपत्र में दर्शित पात्र विनिधान के योग का प्रयोग करते हुए, संगणित की जाएगी;

परन्तु यह भी कि धनराशि क, ग, और घ पात्र विनिधान को भी सम्मिलित करेगी जो, संगणना की तारीख तक उन धनराशियों में शामिल नहीं की जा सकी परन्तु शामिल की जाएगी, यदि संगणना वैकल्पिक विनिधान निधि द्वारा ऐसे पात्र विनिधान की प्राप्ति की तारीख के पश्चात् तीन मास के भीतर किसी भी समय की गई थी;

परन्तु यह भी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो, सुसंगत पूर्व वर्ष है और उत्तरवर्ती सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ग) में निर्दिष्ट प्रतिशत तुष्ट समझा जाएगा, यदि वह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तुष्ट है जो, सुसंगत पूर्व वर्ष है।

(3) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (घ) में निर्दिष्ट प्रतिशत निम्नलिखित रीति से संगणित किया जाएगा, अर्थात्:-

ङ *100

च

जहां,-

ङ = वित्तीय वर्ष 2021-2022 से प्रारंभ होने वाले और सुसंगत पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष को समाप्त होने वाले सभी वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ख) में निर्दिष्ट एक या एक से अधिक कंपनी या उद्यम या अस्तित्व में किए गए घरेलू कंपनी के तुलनपत्र में दर्शित पात्र विनिधान का योग; और

च = वित्तीय वर्ष 2021-2022 से प्रारंभ होने वाले और सुसंगत पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष को समाप्त होने वाले सभी वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को घरेलू कंपनी के तुलनपत्र में दर्शित पात्र विनिधान का योग;

परन्तु वित्तीय वर्ष 2021-2022 के मामले में जो, सुसंगत पूर्व वर्ष है, उपरोक्त धनराशि 31 मार्च, 2022 तक वित्तीय वर्ष 2021-2022 के तुलनपत्र में दर्शित पात्र विनिधान के योग का उपयोग करते हुए, संगणित की जाएगी;

परन्तु यह और कि उस मामले में जहां सुसंगत पूर्व वर्ष वह वर्ष है, जिसमें पहला विनिधान घरेलू कंपनी द्वारा किया गया है, तो उपरोक्त धनराशि उस वर्ष की अंतिम तारीख तक सुसंगत पूर्व वर्ष के उसके तुलनपत्र में दर्शित पात्र विनिधान के योग का प्रयोग करते हुए, संगणित की जाएगी;

परन्तु यह भी कि धनराशि ङ पात्र विनिधान को भी सम्मिलित करेगी जो, संगणना की तारीख तक उन धनराशियों में शामिल नहीं की जा सकी परन्तु शामिल की जाएगी, यदि संगणना घरेलू कंपनी द्वारा ऐसे पात्र विनिधान की प्राप्ति की तारीख के पश्चात् तीन मास के भीतर किसी भी समय की गई थी;

परन्तु यह भी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो, सुसंगत पूर्व वर्ष है और उत्तरवर्ती सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (घ) में निर्दिष्ट प्रतिशत तुष्ट समझा जाएगा, यदि वह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तुष्ट है जो, सुसंगत पूर्व वर्ष है;

(4) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ङ) में निर्दिष्ट प्रतिशत निम्नलिखित रीति से संगणित किया जाएगा, अर्थात्:-

छ *100

ज

जहां,

छ = वित्तीय वर्ष 2021-2022 से प्रारंभ होने वाले और सुसंगत पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष को समाप्त होने वाले सभी वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ख) में निर्दिष्ट एक या एक से अधिक कंपनी या उद्यम या अस्तित्व में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के तुलनपत्र में दर्शित पात्र उधार का योग;

ज = वित्तीय वर्ष 2021-2022 से प्रारंभ होने वाले और सुसंगत पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष को समाप्त होने वाले सभी वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के तुलनपत्र में दर्शित पात्र उधार का योग;

परन्तु वित्तीय वर्ष 2021-2022 के मामले में जो, सुसंगत पूर्व वर्ष है, उपरोक्त धनराशि 31 मार्च, 2022 तक वित्तीय वर्ष 2021-2022 के तुलनपत्र में दर्शित पात्र उधार के योग का उपयोग करते हुए, संगणित की जाएगी;

परन्तु यह और कि उस मामले में जहां सुसंगत पूर्व वर्ष वह वर्ष है, जिसमें पहला ऋण या उधार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा विस्तारित किया गया है, वहां उपरोक्त धनराशि उस वर्ष की अंतिम तारीख तक सुसंगत पूर्व वर्ष के उसके तुलनपत्र में दर्शित पात्र उधार के योग का उपयोग करते हुए, संगणित की जाएगी;

परन्तु यह भी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो, सुसंगत पूर्व वर्ष है और उत्तरवर्ती सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ङ) में निर्दिष्ट प्रतिशत तुष्ट समझा जाएगा, यदि वह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तुष्ट है जो, सुसंगत पूर्व वर्ष है;

(5) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) के चौथे परन्तुक के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्ति जो वैकल्पिक विनिधान निधि की एक इकाई का धारक है, को प्रोद्भूत या उद्भूत या दी गई आय या द्वारा प्राप्त की गई आय, उस निधि में किए गए विनिधान के बाहर ऐसी रीति में आय-कर के लिए प्रभार्य होगी, मानो यह ऐसे व्यक्ति को प्रोद्भूत या उद्भूत या दी गई आय थी या द्वारा प्राप्त की गई आय थी और ऐसी विनिधान निधि द्वारा किया गया विनिधान उसके द्वारा सीधे किया गया था और सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान ऐसी निधि में विनिधान से उद्भूत विनिर्दिष्ट व्यक्ति की आय की छूट की गणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी, अर्थात् :-

झ+ञ+ट+ठ

जहां,-

झ = अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ख) में निर्दिष्ट कंपनियों या उद्यमों या आस्तियों में वैकल्पिक विनिधान निधि द्वारा किए गए पात्र विनिधान से सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान प्रोद्भूत या उद्भूत या दी गई या प्राप्त की गई आय उक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति की अधिसूचना की तारीख पर या उसके पश्चात् विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए किसी विनिधान के बाहर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणना की जाएगी;

ञ = विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए किसी विनिधान में से, **ढ** द्वारा गुणित और ण द्वारा विभाजित, जहां **ढ** और **ण** ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी के लिए उपनियम (6) में उनके लिए समनुदेशित मूल्य होगा, अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (घ) में निर्दिष्ट एक या अधिक देशी कंपनियों में वैकल्पिक विनिधान निधि द्वारा किए गए विनिधानों से अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान प्रोद्भूत या उद्भूत या दी गई या प्राप्त आय;

ट = विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए किसी विनिधान में से, **थ** द्वारा गुणित और **द** द्वारा विभाजित, जहां **थ** और **द** ऐसी प्रत्येक गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी के लिए उपनियम (7) में उनके लिए समनुदेशित मूल्य होगा, अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ङ) में निर्दिष्ट एक या अधिक गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों में वैकल्पिक विनिधान निधि द्वारा किए गए विनिधानों से अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान प्रोद्भूत या उद्भूत या दी गई या प्राप्त आय; और

ठ = अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित उक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति की अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात् विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए किसी विनिधान में से, अधिनियम की धारा 2 के खंड (13क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट अवसंरचना विनिधान न्यासों में वैकल्पिक विनिधान निधि द्वारा किए गए पात्र विनिधानों से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान प्रोद्भूत या उद्भूत या दी गई या प्राप्त आय।

(6) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) के पांचवे परंतुक के प्रयोजनों के लिए सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान छूट प्राप्त आय निम्नलिखित रीति से परिकलित की जाएगी, अर्थात्:--

$$\frac{ड*ढ}{ण}$$

जहां,--

ड = अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित, अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (घ) में निर्दिष्ट एक या अधिक देशी कंपनियों में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए विनिधान से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान प्रोद्भूत या उद्भूत या दी गई या प्राप्त आय;

ढ = सुसंगत पूर्ववर्ष के तत्काल पूर्ववर्ष की अंतिम तारीख को (सुसंगत पूर्ववर्ष की अंतिम तारीख, यदि पात्र विनिधान प्रथम बार के लिए सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किया गया है), अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनी या उद्यम या इकाई में देशी कंपनी द्वारा किया गया, उक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति की अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात् विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए विनिधान में से, देशी कंपनी के तुलनपत्र में दर्शित पात्र विनिधानों का योग;

ण = सुसंगत पूर्ववर्ष के ठीक पूर्व वर्ष की अंतिम तारीख को (सुसंगत पूर्ववर्ष की अंतिम तारीख, यदि पात्र विनिधान प्रथम बार के लिए सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किया गया है), विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए विनिधान में से, देशी कंपनी के तुलनपत्र में दर्शित पात्र विनिधानों का योग।

(7) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (**iii**) के छठें परंतुक के प्रयोजनों के लिए, सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान छूट प्राप्त आय निम्नलिखित रीति में परिकलित की जाएगी, अर्थात् :--

$$\frac{त*थ}{द}$$

जहां,--

त = अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित, अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ङ) में निर्दिष्ट एक या अधिक गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए किसी विनिधान से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान प्रोद्भूत या उद्भूत या दी गई या प्राप्त आय;

थ = सुसंगत पूर्ववर्ष के ठीक पूर्व वर्ष की अंतिम तारीख को (सुसंगत पूर्ववर्ष की अंतिम तारीख, यदि पात्र विनिधान प्रथम बार के लिए सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किया गया है), अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनी या उद्यम या इकाई के लिए गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा किया गया, उक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति की अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात् विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए विनिधान में से, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी के तुलनपत्र में दर्शित पात्र उधार का योग;

द = सुसंगत पूर्ववर्ष के तत्काल पूर्ववर्ष की अंतिम तारीख को (सुसंगत पूर्ववर्ष की अंतिम तारीख, यदि पात्र विनिधान प्रथम बार के लिए सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किया गया है), विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए विनिधान में से, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी के तुलनपत्र में प्रकट होने वाले पात्र उधार का योग।

(8) प्रत्येक वैकल्पिक विनिधान निधि, देशी कंपनी और गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी, जिसने किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति से या तो प्रत्यक्षत: या आनुकल्पिक विनिधान निधि के माध्यम से निधि प्राप्त की है, वह प्रत्येक पूर्ववर्ष के लिए, जिसके दौरान ऐसी निधि या उसका कोई भाग ऐसे आनुकल्पिक विनिधान निधि, देशी कंपनी या गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी में विनिधान किया गया है, प्ररूप 10खखघ में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से प्राप्त निधियों का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा ।

(9) प्ररूप सं. 10खखघ में या तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जो अधिनियम की धारा 140 के अधीन ऐसे आनुकल्पिक विनिधान निधि, देशी कंपनी या गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी की आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है।

(10) प्ररूप सं. 10खखघ, अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट नियत तारीख को या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा, जो पूर्ववर्ष के सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें पात्र विनिधान विनिर्दिष्ट व्यक्ति से प्रथमत: प्राप्त किए गए हैं और जब तक सभी पश्चातवर्ती पूर्ववर्षों को विनिर्दिष्ट व्यक्ति से प्राप्त पात्र विनिधान वापस नहीं कर दिए जाते हैं।

(11) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली),--

(i) प्ररूप सं. 10खखघ में डाटा को सुरक्षित लेने और उसका पारेषण करने के लिए प्रक्रिया, रूप-विधान और मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा; और

(ii) उक्त प्ररूप में प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के सत्यापन हेतु उपनियम (9) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड को सृजित करने की प्रक्रिया, रूप-विधान, डाटा संरचना, मानक और रीति को विनिर्दिष्ट करेगा; और

(iii) इस प्रकार प्रस्तुत किए गए प्ररूप सं. 10खखघ के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

स्पष्टीकरण 1: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, पद—

(क) "वैकल्पिक विनिधान निधि" से अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) के मद (ग) में निर्दिष्ट आनुकल्पिक विनिधान निधि का प्रवर्ग I या प्रवर्ग II अभिप्रेत है;

(ख) "तुलनपत्र" से सुसंगत वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को, जो कार्यकलाप की स्थिति का सही और ऋजु चित्र देता है, लागू लेखा मानकों का अनुपालन करता है और सुसंगत आनुकल्पिक विनिधान निधि के लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की गई है या संबंधित कपंनी, यथास्थिति, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आनुकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के विनियम 20 के उपविनियम (5) या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के उपबंधों के अनुसार तैयार किए गए तुलनपत्र (जिसके अंतर्गत उससे उपाबद्ध टिप्पण और लेखाओं का भाग रूप है) अभिप्रेत है;

(ग) "देशी कंपनी" से अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (घ) में निर्दिष्ट कोई कंपनी अभिप्रेत है;

(घ) "पात्र विनिधान" से ऐसा विनिधान अभिप्रेत है जो यथास्थिति, वैकल्पिक विनिधान निधि या देशी कंपनी द्वारा 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् या 31 मार्च, 2024 से पूर्व किया गया है;

(ङ) "पात्र उधार" से ऐसा उधारदाता अभिप्रेत है जो किसी गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् या 31 मार्च, 2024 से पूर्व किया है;

(च) ''विनिधान'' से ऐसी जंगम और स्थावर आस्तियां अभिप्रेत हैं, जिसके अंतर्गत चालू और गैर चालू विनिधान, उधार और अग्रिम तथा रोकड़ एवं नकद समतुल्य सम्मिलित हैं;

(छ) ''गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी'' से अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ङ) में निर्दिष्ट कोई कंपनी अभिप्रेत है;

(ज) ''सुसंगत पूर्ववर्ष'' ऐसा पूर्ववर्ष अभिप्रेत है, जिसके लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के अधीन छूट प्राप्त आय परिकलित की जानी है:

परंतु उपनियम (2) के चौथे परंतुक, उपनियम (3) के चौथे परंतुक और उपनियम (4) के तीसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए, पूर्ववर्ष 2024-25 सुसंगत पूर्ववर्ष के रूप में माना जाएगा । यद्यपि अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के अधीन छूट प्राप्त आय उस वर्ष के लिए परिकलित किए जाने की आवश्यकता नहीं है; और

(झ) ''विनिर्दिष्ट व्यक्ति'' से अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

3. मूल नियमों के परिशिष्ट II में,--

(i) प्ररूप सं. 10खखख के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

''प्ररूप सं. 10खखख*

[नियम 2घख देखें]

[ई-प्ररूप]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चङ) के अधीन विनिधान करने के लिए पेंशन निधि द्वारा संसूचना

(वित्तीय वर्ष के 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही से एक मास के भीतर)

भाग क साधारण जानकारी		
क्र.सं.		
1.	समाप्त होने वाली तिमाही	30 जून/30 सितंबर/31 दिसंबर/31 मार्च
2.	वित्तीय वर्ष	व व व व - व व व व
3.	पेंशन निधि का नाम	
4.	पैन	
5.	आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चङ) के अधीन अधिसूचित अधिसूचना के ब्यौरे	अधिसूचना सं. | अधिसूचना की तारीख |

भाग ख विनिधान की विशिष्टियां							
क्र.सं.	विनिधान की तारीख	विनिधान की रकम (रु. में)	विनिधान की प्रकृति (टिप्पण 3) $	आय की प्रकृति (टिप्पण 4) #	उस अस्तित्व के ब्यौरे, जिसमें विनिधान किया गया है		
					अस्तित्व की प्रकृति (टिप्पण 5)^	नाम	पैन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
कुल							

सत्यापन*

मैं,.....पुत्र/पुत्री/पत्नी** श्री.....सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा उसमें दी गई विशिष्टयों का सही कथन किया गया है।

2. मैं, यह और घोषणा करता/करती हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, मैंने कोई सुसंगत तथ्य या सूचना को नहीं छिपाया है।

3. मैं, यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मैं यह आवेदन.....की हैसियत (पदनाम) में कर रहा/रही हूं और मेरा पैन/आधार** सं.....है तथा मैं यह आवदेन करने के लिए सक्षम हूं और मैं इसका सत्यापन करता/करती हूं।

……तारीख.....को सत्यापित

स्थान.....

(हस्ताक्षर).....

नाम.....

टिप्पण :

1 *आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 140 के अधीन आय-कर विवरणी को सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।

2. **जो लागू न हो उसको काट दें।

3. $ निम्नलिखित कोड में से एक का चयन करें:

विनिधान की प्रकृति	कोड
ऋण	1
साधारण शेयर	2
अधिमानी शेयर	3
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	4

4. # निम्नलिखित कोड में से एक का चयन करें:

आय की प्रकृति	कोड
ब्याज	1
लाभांश	2
पूंजी अभिलाभ	3
अन्य	4

5. ^निम्नलिखित कोडो में से किसी एक कोड का चयन किया जाना है :

उस अस्तित्व की प्रकृति जिसमें विनिधान किया गया है	कोड
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.)के उपखंड (iii) की मद (क) में निर्दिष्ट कारबार न्यास	1
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.)के उपखंड (iii) की मद (ख) में कंपनी या उद्यम या अस्तित्व	2
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.)के उपखंड (iii) की मद (ग) में अनुकल्पिक विनिधान निधि	3
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.)के उपखंड (iii) की मद (घ) में घरेलू कंपनी	4
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.)के उपखंड (iii) की मद (ड.) में अवसंरचना वित्तीय कंपनी – एनबीएफसी/अवसंरचना ऋण निधि-एनबीएफसी	5

";

(ii) प्ररुप 10खखग के स्थान पर निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा :

"*प्ररुप सं. 10खखग*

*[*नियम 2घख देखें*]*

भाग - 1

अधिसूचित पेंशन निधि द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन उपबंधों के अनुपालन के संबंध में लेखाकार का प्रमाणपत्र

मैं/हम संपुष्ट करते हैं कि (पेंशन निधि का नाम) ....., जिसकी पैन सं.....है, के सुसंगत लेखाओं, दस्तावेजों और अभिलेखों की संपरीक्षा की गई है और जो आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन अधिसूचना संख्यांक…….. तारीख.....(ता.....मा.....वर्ष.....) द्वारा ..... (ता.....मा.....वर्ष.....) से ..... (ता.....मा.....वर्ष.....) तक की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है और संपरीक्षा के पश्चात्, भाग 2 में उपलब्ध विशिष्टियां प्रमाणित की जाती हैं।

भाग II

1. निर्धारिती का नाम :
2. पैन/आधार सं. :
3. पूर्व वर्ष :
4. पूर्व वर्ष के दौरान निर्धारिती की कुल आय

5. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन छूट के लिए पात्र आय की कुल रकम (सारणी के स्तंभ 11 की मद सं. 6 पर ब्यौरों के अनुसार) :

6. (*क)ऐसे* किए गए *विनिधान* का आरंभिक अतिशेष (अर्थात् पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को अंतिम अतिशेष) जो धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन छूट के लिए पात्र है :

(*ख*) *पूर्व वर्ष के दौरान पेंशन निधि द्वारा विनिधान के ब्यौरे:*

क्रम सं.	**विनिधान की तारीख**	विनिधान की रकम (रुपए में)	विनिधान की प्रकृति (टिप्पण 3 $	आय की प्रकृति (टिप्पण 4) #	वर्ष के दौरान विनिधान पर आय की रकम (रुपए में)	उस अस्तित्व के ब्यौरे जिसमें विनिधान किया गया				आय की रकम जो धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन छूट के लिए पात्र है (सुसंगत नियमों के अनुसार संगणना पत्र संलग्न करें)
						अस्तित्व की प्रकृति (टिप्पण 5) ^	नाम	पैन	यदि अस्तित्व की प्रकृति का कोड 3/4/5 है, तो क्या अस्तित्व ने धारा 10 के खंड (23चड.) के उपखंड (*iii*) की मद (ग) या मद (घ) या मद (ड.) में यथाअपेक्षित 50 या 75 या 90 प्रतिशत का न्यूनतम विनिधान किया है (सुसंगत नियमों के अनुसार संगणना पत्र संलग्न करें)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1.										
2.										
कुल										

7. *(*क*) उस तारीख से जिसको उक्त छूट के संबंध में विनिधान किया गया था, तीन वर्ष के अवसान के पूर्व आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए किए गए किन्हीं विनिधानों को पेंशन निधि ने विक्रय किया है (हां/नहीं)।

(ख) यदि (क) का उत्तर हां है, तो उसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	विनिधान की तारीख	विनिधान की प्रकृति (टिप्पण 3) $	आय की प्रकृति (टिप्पण 4) #	वर्ष के दौरान विनिधान पर आय की रकम	उस अस्तित्व के ब्यौरे जिसमें विनिधान किया गया			विक्रय की तारीख
					अस्तित्व की प्रकृति (टिप्पण 5)	नाम	पैन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
कुल								

8. पेंशन निधि, आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए सभी शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् :-

क)	उस विधि का नाम जिसके अधीन पेंशन निधि सृजित या स्थापित है।	
ख)	उन निधियों या योजनाओं के ब्यौरे जिनके लिए पेंशन निधि, आस्तियों का प्रशासन करने या विनिधान करने के लिए जिम्मेवार है :	

निधि/योजना का नाम	प्रयोजन जिसके लिए योजना या निधि स्थापित है (टिप्पण 6) $$	निधि/योजना की प्रकृति (टिप्पण 7) ##	पेंशन निधि द्वारा विनिधान की गई या प्रशासित आस्तियों के कुल मूल्य का, प्रत्येक योजना/निधि से प्राप्त हुई आस्तियों के मूल्य का प्रतिशत

ग)	यदि पेंशन निधि द्वारा प्रशासित या विनिधान की गई निधियों/योजनाओं में से कुछ निधियां/योजनाएं एसडब्ल्यूएफ प्रकृति की हैं तो क्या वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हैं : (i) इन निधियों/योजनाओं की आस्तियां प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, पूर्णतया बाहरी देश की सरकार के स्वामित्व में हैं; और (ii) ऐसी आस्तियां, ऐसे बाहरी देश की सरकार के विघटन पर सरकार में निहित हैं	हां/नहीं
घ)	क्या पेंशन निधि के उपार्जन या आस्तियों का कोई भाग किसी निजी व्यक्ति को कोई फायदा पहुंचाता है (कानूनी बाध्यताओं को पूरा करने या नियम 2घख के खंड (ii) में निर्दिष्ट निधियों या योजनाओं के भागीदारों या फायदाग्राहियों के लिए परिभाषित अभिदायों से भिन्न; या ऋण या उधारियों के लिए [अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) के उपखंड (ख) में यथापरिभाषित] लेनदारों या निक्षेपकर्ताओं को भारत में विनिधान करने से भिन्न प्रयोजनों के लिए किए गए किसी संदाय के लिए;)	हां/नहीं

ड.)	यदि (घ) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें : i. ऐसे निजी व्यक्ति का नाम ii. वर्ष के दौरान उपलब्ध कराए गए फायदे की रकम	
च)	क्या यह किसी विनिधान प्राप्तकर्ता की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में भागीदारी करता है, धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण 2 में यथापरिभाषित, विनिधान प्राप्तकर्ता के साथ विनिधान को संरक्षित करने के किसी मॉनीटरी तंत्र को विवर्जित करते हुए, जिसके अंतर्गत निदेशकों या कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति का अधिकार भी है :	हां/नहीं
छ)	यदि (च) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें : i. ऐसे विनिधान प्राप्तकर्ता का नाम ii. विनिधान प्राप्तकर्ता का पैन iii. वर्ष के अंत में ऐसे विनिधान प्राप्तकर्ता में विनिधान की रकम	
ज)	क्या ये भारत में विनिधान करने के प्रयोजनों के लिए प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण 2 में यथापरिभाषित ऋण या उधारियां हैं :	हां/नहीं
झ)	यदि (ज) का उत्तर हां है तो निम्नलिखित ब्यौरे दें : i. ऐसे व्यक्ति का नाम जिससे ऋण या उधारियां ली गई हैं ii वर्ष के आरंभ में ऋण या उधारियों की रकम Iii वर्ष के दौरान प्राप्त ऋण या उधारियों की रकम iv वर्ष के दौरान पुन:संदत्त ऋण या उधारियों की रकम V वर्ष के अंत में ऋण या उधारियों की रकम	
ञ)	क्या ऐसे विनिधान के संबंध में आय और विनिधान के लिए पृथक विभाजित लेखा रखा जाता है जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन छूट के लिए अर्हित है।	हां/नहीं
ट)	क्या यह ऐसे बाहरी देश में कर के लिए दायी है	हां/नहीं
ठ)	यदि (ट) का उत्तर हां है तो क्या उसकी सभी आय के लिए कराधान से ऐसे बाहरी देश द्वारा छूट उपलब्ध कराई गई है ;	हां/नहीं
ड)	ऐसी तिमाही जिसके लिए प्ररुप संख्यांक 10खखख में पूर्व वर्ष के दौरान सूचना फाइल की गई है	टिप्पण 8 देखें ***

सत्यापन†

यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रस्तुत की गई जानकारी सभी प्रकार से सत्य और सही है और कोई सुसंगत जानकारी छिपायी या रोकी नहीं गई है।

2. न तो मैं, न ही मेरा कोई भागीदार उपरोक्त उल्लिखित आस्तियों या उसके सहबद्ध उपक्रमों में कोई निदेशक, या कर्मचारी नहीं है।

3. मैं/हम *, पूर्णतया यह समझते हैं कि इस प्रमाणपत्र में किया गया कोई कथन यदि असत्य या मिथ्या पाया जाता है, तो विधि में विहित या अन्यथा अपेक्षित किसी दांडिक या अन्य परिणामों के लिए मुझे/हमें * दायी माना जाएगा ।

आज की तारीख _____ को सत्यापित

स्थान _____

*(*हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर*)*

*†*लेखाकार_____

हस्ताक्षरकर्ता का नाम_____

सदस्यता सं._____

टिप्पण :

1. *जो लागू न हो उसे काट दें ।

2. *†*यह प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखाकार द्वारा दिया जाए ।

3. *$* किसी एक कोड का चयन किया जाना है:

विनिधान की प्रकृति	कोड
ऋण	*1*
साम्या	*2*
अधिमानी शेयर	*3*
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	*4*

4. *#* किसी एक कोड का चयन किया जाना है:

आय की प्रकृति	कोड
ब्याज	*1*
लाभांश	*2*
पूंजी अभिलाभ	*3*
अन्य	*4*

5. ^ किसी एक कोड का चयन किया जाना है:

उस अस्तित्व की प्रकृति जिसमें विनिधान किया गया है	कोड
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.)के उपखंड *(iii)* की मद (क) में निर्दिष्ट कारबार न्यास	*1*
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.)के उपखंड *(iii)* की मद (ख) में कंपनी या उद्यम या अस्तित्व	*2*
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.)के उपखंड *(iii)* की मद (ग) में अनुकल्पिक विनिधान निधि	*3*
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.)के उपखंड *(iii)* की मद (घ) में घरेलू कंपनी	*4*
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.)के उपखंड *(iii)* की मद (ड.) में अवसंरचना वित्तीय कंपनी – एनबीएफसी/अवसंरचना ऋण निधि-एनबीएफसी	*5*

6. $$ किसी एक या अधिक कोडों का चयन किया जाना है:

योजना/निधि का प्रयोजन	**कोड**
सेवानिवृत्ति	*1*
सामाजिक सुरक्षा	*2*
नियोजन	*3*
दिव्यांगता	*4*
मृत्यु संबंधी प्रसुविधाएं	*5*
समरूप प्रतिकर (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	*6*

*7. ##*किसी एक कोड का चयन किया जाना है:

योजना/निधि की प्रकृति	**कोड**
पेंशन निधि	*1*
संप्रभु धन निधि	*2*
अन्य	*3*

*8. ***किसी एक या अधिक कोडों का चयन किया जाना है :

प्ररुप 10खखख में सूचना	**कोड**
पूर्व वर्ष के 30 जून को समाप्त होने वाली तिमाही	*1*
पूर्व वर्ष के तिमाही वाली होने समाप्त को सितंबर 30	*2*
पूर्व वर्ष के तिमाही वाली होने समाप्त को दिसंबर 30	*3*
पूर्व वर्ष के तिमाही वाली होने समाप्त को मार्च 30	*4*

.";

(iii) प्ररुप सं. 10खखग के पश्चात् निम्नलिखित प्ररुप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररुप 10खखघ

*[*नियम 2घगक देखें*]*

*[*ई-प्ररुप*]*

प्राप्त पात्र विनिधान का विवरण

1. निर्धारिती का नाम :

2. पैन/आधार सं. :

3. पूर्व वर्ष :

भाग क (विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विनिधान में से विनिर्दिष्ट व्यक्ति की अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात् *(i)* **विनिर्दिष्ट व्यक्ति या** *(ii)* **विनिर्दिष्ट अनुकल्पी विनिधान निधि, से प्राप्त हुए पात्र विनिधानों के ब्यौरे)**

क्रम सं.	**विनिर्दिष्ट व्यक्ति / अनुकल्पी विनिधान निधि का नाम**	**विनिर्दिष्ट व्यक्ति/ अनुकल्पी विनिधान निधि का पैन**	ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्ति/अनुकल्पी विनिधान निधि से प्राप्त हुए ऐसे पात्र विनिधानों का आरंभिक अतिशेष (रुपए में)	विनिर्दिष्ट व्यक्ति/अनुकल्पी विनिधान निधि से वर्ष के दौरान प्राप्त हुए ऐसे पात्र विनिधान (रुपए में)	विनिर्दिष्ट व्यक्ति/अनुकल्पी विनिधान निधि को वर्ष के दौरान वापस किए गए ऐसे पात्र विनिधान (रुपए में)	विनिर्दिष्ट व्यक्ति/अनुकल्पी विनिधान निधि प्राप्त हुए ऐसे पात्र विनिधानों का अंतिम अतिशेष (रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
कुल						

भाग ख

भाग क में सूचीबद्ध पात्र विनिधानों में से बनाए गए सभी विनिधानों के ब्यौरे

(प्रत्येक विनिर्दिष्ट व्यक्ति या वैकल्पिक विनिधान निधि के लिए अलग से फाइल होंगे)

/. विनिर्दिष्ट व्यक्ति/वैकल्पिक विनिधान निधि का नाम

//. भाग क में क्र.सं.

विनिधान का नाम	विनिधान की प्रकृति (टिप्पण ग) $	अस्तित्व के ब्यौरे जिसमे विनिधान बनाए गए			विनिधान का अरंभिक अतिशेष (रू. में)	वर्ष के दौरान बनाए गए विनिधान की राशि (रू. में)	वर्ष के दौरान विक्रीत/ परिनिर्धारित / अभिधान की रकम (रू.में)	यथास्थिति विनिधान की तारीख या विक्रय/ परिनिर्धारण करने की तारीख	विनिधान का अंत अतिशेष	आप की प्रकृति (टिप्पण घ)*	वर्ष के दौरान विनिधान पर आय की रकम (रू.में)	स्तम्भ 12 में आय से, विनिर्दिष्ट व्यक्ति/ वैकल्पिक विनिधान निधि के आय की प्रकृति (टिप्पण घ) (रू.में)*	विनिर्दिष्ट व्यक्ति/ वैकल्पिक विनिधान निधि के आय की रकम (रू.में)
		अस्तित्व की प्रकृति (टिप्पण ङ)**	अस्तित्व का नाम	अस्तित्व का पैन									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

भाग ग [भाग क में सूचीबद्ध *(i)*विनिर्दिष्ट व्यक्ति *(ii)*वैकल्पिक विनिधान निधि से प्राप्त किए गए विनिधानों के ब्यौरे, लेकिन विनिधान भाग क में समावेशित नहीं हैं

क्र.सं.	**भाग क में सूचीबद्ध विनिर्दिष्ट व्यक्ति/ वैकल्पिक विनिधान निधि का नाम**	विनिर्दिष्ट व्यक्ति/वैकल्पिक विनिधान निधि का पैन	विनिर्दिष्ट व्यक्ति/वैकल्पिक विनिधान निधि से प्राप्त विनिधानों का आरंभिक अतिशेष जो भाग क में समावेशित नहीं हैं	विनिर्दिष्ट व्यक्ति/वैकल्पिक विनिधान निधि से वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए विनिधान जो भाग क में समावेशित नहीं हैं	विनिर्दिष्ट व्यक्ति/वैकल्पिक विनिधान निधि का वर्ष के दौरान ऐसे विनिधानों की वापसी	विनिर्दिष्ट व्यक्ति/वैकल्पिक विनिधान निधि से प्राप्त किए गए ऐसे विनिधानों के आरंभिक अतिशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
योग						

भाग घ

(भाग ग में सूचीबद्ध विनिधान से बनाए गए सभी विनिधान के ब्यौरे)

I. विनिर्दिष्ट व्यक्ति/वैकल्पिक विनिधान निधि का नाम

II. भाग ग में क्र. सं.

विनिधान का नाम	विनिधान की प्रकृति (टिप्पण ग) $	अस्तित्व के ब्यौरे जिसमे विनिधान बनाए गए			विनिधान का अरंभिक अतिशेष (रू. में)	वर्ष के दौरान बनाए गए विनिधान की राशि (रू. में)	वर्ष के दौरान विक्रीत/ परिनिर्धारित अभिधान की रकम (रू.में)	यथास्थिति विनिधान की तारीख या विक्रय/ परिनिर्धारण करने की तारीख	विनिधान का अंत अतिशेष	आप की प्रकृति (टिप्पण घ)*	वर्ष के दौरान विनिधान पर आय की रकम (रू.में)	स्तम्भ 12 में आय से, विनिर्दिष्ट व्यक्ति /वैकल्पिक विनिधान निधि के आय की प्रकृति (टिप्पण घ) (रू.में) *	विनिर्दिष्ट व्यक्ति /वैकल्पिक विनिधान निधि के आय की रकम (रू.में)
		अस्तित्व की प्रकृति (टिप्पण ङ)**	अस्तित्व का नाम	अस्तित्व का पैन									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

घोषणा

मैं,_____(बड़े अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी…….. (वैकल्पिक विनिधान निधि, देशी कंपनी और गैर-बैंककारी वित्त कंपनी)..... एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि उपरोक्त प्ररुप में जो भी दिया गया है मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार ठीक और पूर्ण है;

मैं पुन: घोषणा करता हूँ कि मैं..... (पद) की हैसियत से ऐसे कथन करता हूँ और इस कथन की घोषणा करने और देने के लिए मैं सक्षम हूँ।

स्थान:

तारीख:

भवदीय,

हक्ताक्षर .....…….

नाम ……

पदनाम ……

टिप्पण

(क) भाग ख की सारणी में स्तम्भ सं. 10 का योग, भाग क की सारणी में स्तम्भ सं. 7 के योग से मेल खाना चाहिए, उस रकम को छोड़कर जिसे अब तक निवेश नहीं किया गया है

(ख) भाग घ की सारणी में स्तम्भ सं. 10 का योग, भाग ग की सारणी में स्तम्भ सं. 7 के योग से मेल खाना चाहिए, उस रकम को छोड़कर जिसे अब तक निवेश नहीं किया गया है

(ग) $ निम्नलिखित में से एक कोड को चयनित होना है :

विनिधान की प्रकृति	**कोड**
ऋण	1
साधारण शेयर	2
अधिमानी शेयर	3
अन्य(कृपया विनिर्दिष्ट करें)	4

(घ) * निम्नलिखित में से एक कोड को चयनित होना है :

आय की प्रकृति	**कोड**
ब्याज	1
लाभांश	2
पूंजी अभिलाभ	3
अन्य	4

(ड.) ** निम्नलिखित में से एक कोड को चयनित होना है :

अस्तित्व की प्रकृति जिससे विनिधान किया गया है	कोड
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के उपखंड (iii) के मद (क) में निर्देशित व्यावसायिक न्यास	1
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) की उपखंड (iii) के मद (ख) में निर्देशित कंपनी या उद्यम या अस्तित्व	2
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) की उपखंड (iii) के मद (ग) में निर्देशित वैकल्पिक विनिधान निधि	3
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) की उपखंड (iii) के मद (घ) में निर्देशित देशी कंपनी	4
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) की उपखंड (iii) के मद (ङ) में निर्देशित अवसंरचना वित्त कंपन/अवसंरचना ऋण निधि – एनबीएफसी	5
अभी तक विनिधान नहीं किया गया	6
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	7”.

[अधिसूचना सं. 50/2022/ एफ. सं. 370142/2/2022-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड-3 , उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का. आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि 339(अ) तारीख 5 मई, 2022 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2022

G.S.R. 341(E).—In exercise of the powers conferred by the *Explanation* 3 to clause (23FE) of section 10 and fourth, fifth and sixth provisos to clause (23FE) of section 10, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules,1962, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Income-tax Amendment (Thirteenth Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), after rule 2DC, the following rule shall be inserted, namely: —

‘**2DCA. Computation of minimum investment and exempt income for the purposes of clause (23FE) of section 10 of the Act.—** (1) For the purposes of clause (23FE) of section 10 of the Act, the percentages referred to in item (c), item (d) and item (e) of sub-clause (iii) , and the exempt income referred to in the fourth, fifth and sixth proviso shall be calculated in accordance with this rule.

(2) The percentage referred to in item (c) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act shall be calculated in the following manner, namely:-

$$\frac{(A+C+D)}{B} * 100$$

Where,-

A = Aggregate of eligible investments, appearing in the balance sheet of the Alternative Investment Fund as on the last date of all the financial years starting from the financial year 2021-22 and ending on the financial year immediately preceding the relevant previous year, made in one or more of the

company or enterprise or entity referred to in item (b) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act or in an Infrastructure Investment Trust referred to in sub-clause (i) of clause (13A) of section 2 of the Act;

B= Aggregate of eligible investments appearing in the balance sheet of the Alternative Investment Fund as on the last date of all the financial years starting from the financial year 2021-22 and ending on the financial year immediately preceding the relevant previous year;

C = Aggregate of eligible investments, appearing in the balance sheet of the Alternative Investment Fund as on the last date of all the financial years starting from the financial year 2021-22 and ending on the financial year immediately preceding the relevant previous year, made in one or more domestic companies referred to in item (d) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act, multiplied by the percentage for those domestic company or companies determined in accordance with sub-rule (3); and

D = Aggregate of eligible investments appearing in the balance sheet of the Alternative Investment Fund as on the last date of all the financial years starting from the financial year 2021-22 and ending on the financial year immediately preceding the relevant previous year, made in one or more non-banking financial companies referred to in item (e) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act, multiplied by the percentage for those non-banking financial company or companies determined in accordance with sub-rule (4):

Provided that in the case of financial year 2021-22 being the relevant previous year, the amounts A, B, C and D shall be calculated using the aggregate of eligible investments, appearing in the balance sheet of the financial year 2021-22 as on the 31st day of March 2022:

Provided further that in a case where the relevant previous year is the year in which the first investment is made by the Alternative Investment Fund, the above amounts shall be calculated using the aggregate of eligible investments, appearing in its balance sheet of the relevant previous year as on the last date of that year:

Provided also that the amount A, C and D shall also include eligible investments which may not be includible in these amounts as on the date of calculation but would have been included if the calculation was carried out anytime within three months after the date of receipt of such eligible investments by the Alternative Investment Fund:

Provided also that for the financial year 2025-26 being the relevant previous year and for subsequent relevant previous years, the percentage referred to in item (c) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act shall be deemed to have been satisfied if the same is satisfied for the financial year 2024-25 being the relevant previous year.

(3) The percentage referred to in item (d) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act shall be calculated in the following manner, namely:-

$$\frac{E}{F} * 100$$

Where,-

E = Aggregate of eligible investments, appearing in the balance sheet of the domestic company as on the last date of all the financial years starting from the financial year 2021-22 and ending on the financial year immediately preceding the relevant previous year, made in one or more of the company or enterprise or entity referred to in item (b) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act; and

F= Aggregate of eligible investments appearing in the balance sheet of the domestic company as on the last date of all the financial years starting from the financial year 2021-22 and ending on the financial year immediately preceding the relevant previous year:

Provided that in the case of financial year 2021-22 being the relevant previous year, the above amounts shall be calculated using the aggregate of eligible investments, appearing in the balance sheet of the financial year 2021-22 as on 31st March 2022:

Provided further that in a case where the relevant previous year is the year in which the first investment is made by the domestic company, the above amounts shall be calculated using the aggregate of eligible investments, appearing in its balance sheet of the relevant previous year as on the last date of that year:

Provided also that the amount E shall also include eligible investments which may not be includible in these amounts as on the date of calculation but would have been included if the calculation was carried out anytime within three months after the date of receipt of such eligible investments by the domestic company:

Provided also that for the financial year 2025-26 being the relevant previous year and for subsequent relevant previous years, the percentage referred to in item (d) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act shall be deemed to have been satisfied if the same is satisfied for the financial year 2024-25 being the relevant previous year.

(4) The percentage referred to in item (e) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act shall be calculated in the following manner, namely:-

$$\frac{G}{H} * 100$$

Where,-

G = Aggregate of eligible lending, appearing in the balance sheet of the non-banking financial company as on the last date of all the financial years starting from the financial year 2021-22 and ending with the financial year immediately preceding the relevant previous year, made to one or more of the company or enterprise or entity referred to in item (b) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act; and

H= Aggregate of eligible lending appearing in the balance sheet of the non-banking financial company as on the last date of all the financial years starting from the financial year 2021-22 and ending on the financial year immediately preceding the relevant previous year:

Provided that in the case of financial year 2021-22 being the relevant previous year, the above amounts shall be calculated using the aggregate of eligible lending appearing in the balance sheet of the financial year 2021-22 as on 31st March 2022:

Provided further that in a case where the relevant previous year is the year in which the first debt or loan is extended by the non-banking financial company, the above amounts shall be calculated using the aggregate of eligible lending appearing in its balance sheet of the relevant previous year as on the last date of that year:

Provided also that for the financial year 2025-26 being the relevant previous year and for subsequent relevant previous years, the percentage referred to in item (e) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act shall be deemed to have been satisfied if the same is satisfied for the financial year 2024-25 being the relevant previous year.

(5) For the purposes of the fourth proviso to sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act, the income accrued or arisen or attributed to, or received by, the specified person, who is a unit holder of an Alternative Investment Fund, out of investment made in that fund, shall be chargeable to income-tax in the same manner as if it were the income accrued or arisen or attributed to, or received by, such person had the investment made by such investment fund been made directly by him and the calculation of exempt income of the specified person arising from the investment in such fund during the relevant previous year shall be made in the following manner, namely:-

I+J+K+L

where.-

I = Income accrued or arisen or attributed or received during the relevant previous year from the eligible investments made by the Alternative Investment Fund in companies or enterprises or entities referred to in item (b) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act, out of any investment made by the specified person on or after the date of notification of the specified person under the said clause, computed in accordance with the provisions of the Act;

J = Income accrued or arisen or attributed or received during the relevant previous year, computed in accordance with the provisions of the Act, from the investments made by the Alternative Investment Fund in one or more domestic companies, referred to in item (d) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act, out of any investment made by the specified person multiplied by N and divided by O, where N and O shall have the value assigned to them in sub-rule (6) for each of such domestic company;

K = Income accrued or arisen or attributed or received during the relevant previous year, computed in accordance with the provisions of the Act, from the investments made by the Alternative Investment Fund in one or more non-banking financial companies, referred to in item (e) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act, out of any investment made by the specified person multiplied by Q and divided by R, where Q and R shall have the value assigned to them in sub-rule (7) for each such non-banking financial company; and

L = Income accrued or arisen or attributed or received during the relevant previous year from the eligible investments made by the Alternative Investment Fund in Infrastructure Investment Trusts referred to in sub-clause (i) of clause (13A) of section 2 of the Act, out of any investment made by the specified person on or after the date of notification of the specified person under the said clause, computed in accordance with the provisions of the Act.

(6) For the purposes of fifth proviso to sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act, the exempt income during the relevant previous year shall be calculated in the following manner, namely:-

$$\frac{M * N}{O}$$

Where,-

M = income accrued or arisen or attributed or received during the relevant previous year from the investment made by the specified person in one or more domestic companies referred to in item (d) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act, computed in accordance with the provisions of the Act;

N = Aggregate of eligible investments, appearing in the balance sheet of the domestic company as on the last date of the previous year immediately preceding the relevant previous year (last date of the relevant previous year if eligible investment has been made during the relevant previous year for the first time), made by domestic company in one or more of the company or enterprise or entity referred to in item (b) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act, out of investment made by the specified person on or after the date of notification of the specified person under the said clause; and

O = Aggregate of investments, appearing in the balance sheet of the domestic company as on the last date of the previous year immediately preceding the relevant previous year (last date of the relevant previous year if eligible investment has been made during the relevant previous year for the first time), out of any investment made by the specified person.

(7) For the purposes of sixth proviso to sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act, the exempt income during the relevant previous year shall be calculated in the following manner, namely:-

$$\frac{P * Q}{R}$$

Where,-

P = income accrued or arisen or attributed or received during the relevant previous year from the investment made by the specified person in one or more non-banking financial companies referred to in item (e) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act, computed in accordance with the provisions of the Act;

Q = Aggregate of eligible lending appearing in the balance sheet of the non-banking financial company as on the last date of the previous year immediately preceding the relevant previous year (last date of the relevant previous year if eligible lending has been made during the relevant previous year for the first time) made by non-banking financial company to one or more of the company or enterprise or entity referred to in item (b) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act, out of any investment made by the specified person on or after the date of notification of the specified person under the said clause; and

R = Aggregate of lending appearing in the balance sheet of the non-banking financial company as on the last date of the previous year immediately preceding the relevant previous year (last date of the relevant previous year if eligible lending has been made during the relevant previous year for the first time) out of any investment made by the specified person.

(8) Every Alternative Investment Fund, domestic company and non-banking finance company, which has received funds from any specified person, either directly or through Alternative Investment Fund, shall furnish the details of funds received from specified persons in Form 10BBD for each previous year during which such funds or any part thereof remains invested in such Alternative Investment Fund, domestic company and non-banking finance company.

(9) Form No 10BBD shall be furnished electronically either under digital signature or through electronic verification code and shall be verified by the person who is authorized to verify the return of income of such Alternative Investment Fund, domestic company and non-banking finance company under section 140 of the Act.

(10) Form No. 10BBD shall be furnished on or before the due date referred to in the *Explanation* 2 to sub-section (1) of section 139 of the Act for the assessment year relevant to the previous year in which the eligible investments have been first received from the specified person and all subsequent previous years till the eligible investment received from the specified person is returned.

(11) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall -

(i) specify the procedure, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of the data in Form No. 10BBD; and

(ii) specify the procedure, format, data structure, standards and manner of generation of electronic verification code, referred to in sub-rule (9), for verification of the person furnishing the said Form; and

(ii) be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the Form No 10BBD so furnished.

Explanation 1: For the purposes of this rule, the expressions -

(a) "Alternative Investment Fund" means Category –I or Category –II Alternative Investment Fund referred to in item (c) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act;

(b) "Balance Sheet" means the balance-sheet (including the notes annexed thereto and forming part of the accounts) drawn up as on 31st day of March of the relevant financial year which gives a true and fair view of the state of affairs , complies with applicable accounting standards and has been audited by the auditor of the relevant Alternative Investment Fund or respective companies, in accordance with the provisions of regulation sub-regulation (5) of regulation 20 of Securities and Exchange Board of India (Alternate Investment Fund) Regulations, 2012 or section 139 of the Companies Act 2013, as the case may be;

(c) "domestic company" means a company referred to in item (d) of sub clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act;

(d) "eligible investment" means an investment which has been made by an Alternative Investment Fund or domestic company, as the case may be, on or after the 1st day of April, 2020 but on or before the 31st day of March, 2024;

(e) "eligible lending" means lending made by a non-banking financial company on or after the 1st day of April, 2020 but on or before the 31st day of March, 2024;

(f) "investment" shall mean movable and immovable assets including current and non-current investments, loans and advances and cash and cash equivalents;

(g) "non-banking financial company" means a company referred to in item (e) of sub clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act;

(h) "relevant previous year" means the previous year for which the income exempt under clause (23FE) of section 10 of the Act is to be calculated:

Provided that for the purposes of fourth proviso of sub-rule (2), fourth proviso of sub-rule (3) and third proviso of sub-rule (4), the previous year 2024-25 shall be considered to be relevant previous year even if exempt income under clause (23FE) of section 10 of the Act is not required to be calculated for that year; and

(i) "specified person" means a person referred to in *Explanation* 1 to clause (23FE) of section 10 of the Act.'.

3. In the principal rules, in APPENDIX II, −

(i) For Form No. 10BBB, the following Form shall be substitued, namely :-

"**Form No. 10BBB***

[See rule 2DB]

[e-Form]

Intimation by Pension Fund of investment under clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961

(within one month from the end of the quarter ending on 30th June, 30th September, 31st December and 31st March of the financial year)

Part A General Information		
S.no		
1.	Quarter Ending	June 30th /September 30th / December 31st / March 31st
2.	Financial Year	y y y y - y y y y
3.	Name of Pension Fund	
4.	PAN	
5.	Details of Notification vide which notified under clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961	Notification No: Date of Notification:

Part B Particulars of Investment							
Sl No	Date of investment	Amount of investment (in Rs)	Nature of investment (Note 3) $	Nature of income (Note 4) #	Details of the entity in which Investment made		
					Nature of entity (Note 5) ^	Name	PAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
Total							

Verification*

I, _____, son/ daughter/ wife** of Shri _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given above is correct and complete and particulars shown therein are truly stated.

2. I further declare that to the best of my knowledge; I have not concealed any relevant fact or information.

3. I also declare that I am making this application in my capacity as _____ (designation) and that I am holding PAN/ Aadhaar** _____ and I am competent to make this application and verify it.

Verified today the _____ day of _____

Place _____

(Signature) _____

Name _____

Notes:

1. *To be signed by the person competent to verify the return of income under section 140 of the Income-tax Act, 1961.

2. **Delete whichever is not applicable.

3. $One of the following codes is to be selected:

Nature of Investment	***Code***
Debt	*1*
Equity	*2*
Preference Shares	*3*
Others (Please specify)	*4*

4. #One of the following codes is to be selected

Nature of Income	***Code***
Interest	*1*
Dividend	*2*
Capital Gains	*3*
Others	*4*

5. ^One of the following codes is to be selected:

Nature of entity in which investment is made	***Code***
Business Trust referred to in item (a) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act	*1*
Company or enterprise or entity referred to in item (b) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act	*2*

Alternative Investment Fund referred to in item (c) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act	*3*
Domestic company referred to in item (d) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act	*4*
Infrastructure Finance Company-NBFC/Infrastructure Debt Fund-NBFC referred to in item (e) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act	*5*

";

(ii) For Form No. 10BBC, the following Form shall be substituted,namely:

"***Form No 10BBC***

[See rule 2DB]

Certificate of accountant in respect of compliance to the provisions of clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 by the notified Pension Fund

Part- I

I/ We* hereby confirm that I/ we* have examined the relevant accounts, documents and records of _____(name of the Pension Fund) having PAN _____ and which has been notified under clause (23FE) of section 10 vide Notification no _____dated_____(DDMMYYYY), for the period from _____(DDMMYYYY) to _____(DDMMYYYY) and after examination, the particulars provided in Part II are hereby certified.

Part II

1. Name of the Assessee :
2. PAN/ AADHAAR :
3. Previous Year :
4. Total Income of the Assessee during the previous year
5. Total amount of income eligible for exemption under clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (as per details in column 11 of table at item no.6):
6. (a) the opening balance (i.e. the closing balance as on the last date of the preceding financial year) of the investment made which is eligible for exemption under clause (23FE) of section 10:

   (b) details of the investment by the Pension Fund during the previous year:

Sl No	*Date of investment*	*Amount of investment (In Rs)*	*Nature of investment (Note3) $*	*Nature of income (note4) #*	*Amount of income on investment during the year (In Rs)*	*Details of the entity in which Investment made*				*Amount of income which is eligible for exemption under clause (23FE) of section 10* ***(Attach calculation sheet as per relevant rules)***
						Nature of entity (note5) ^	*Name*	*PAN*	*If nature of entity code is 3/4/5, whether the entity has made minimum investment of 50 or75 or90 percent as required in item (c) or (d) or (e) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10* ***(Attach calculation sheet as per relevant rules)***	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1.										
2.										
Total										

7. * (a) whether the pension fund has sold any of the investments made for the purposes of exemption under clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 before the expiry of three years from the date on which the investment was made in respect of the said exemption (Yes/NO).

(b) If answer to (a) is yes then the details of which are as under:

Sl. No.	*Date of investment*	*Nature of investment (Note 3) $*	*Nature of income (note 4) #*	*Amount of income on investment during the year*	*Details of the entity in which Investment was made*			*Date of sale*
					Nature of entity (note 5)	*Name*	*PAN*	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1.								
2.								
Total								

8. *the Pension Fund satisfies all the conditions required for the purposes of exemption under clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961, that is, -*

<table>
<tr><td>a)</td><td>Name of the law under which the Pension Fund is created or established</td><td></td></tr>
<tr><td>b)</td><td>Details of the funds or plans for which the PF is responsible for administering or investing the assets for:
<table>
<tr><td>Name of the fund/ plan</td><td>Purpose for which plan/fund is established
(Note 6
$$</td><td>Nature of the fund/plan
(Note7)
##</td><td>Percentage of value of assets received from each plan/fund to total value of assets administered orinvested by the PF</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>c)</td><td>If some of the funds/plans administered or invested by the PF are in the nature of SWF, then whether they fulfill the following conditions:
(i) assets of these funds/plans are wholly owned directly or indirectly by the Government of a foreign country; and
(ii) such assets vests in the Government of such foreign country upon dissolution.</td><td>Yes/No</td></tr>
<tr><td>d)</td><td>whether portion of the earnings or assets of the Pension Fund inures any benefit to any private person (other than for meeting statutory obligations and defined contributions for participants or beneficiaries of funds or plans referred to in clause (ii) of the rule 2DB; or for any payment made to creditors or depositors for loan or borrowing [as defined in sub-clause (b) of clause (ii) of Explanation 2 to clause (23FE) of section 10 of the Act] taken for the purposes other than for making investment in India);</td><td>Yes/No</td></tr>
<tr><td>e)</td><td>If answer to (d) is Yes, then provide the following details:
i. Name of such private person
ii. Amount of benefit provided during the year</td><td></td></tr>
<tr><td>f)</td><td>Whether it participates in the day to day operations of any of the investee, as defined in Explanation 2 to clause (23FE) of section 10, barring any monitoring mechanism to protect the investment with the investee including the right to appoint directors or executive director</td><td>Yes/No</td></tr>
<tr><td>g)</td><td>If answer to (f) is yes, then provide the following details:
i. Name of such investee
ii. PAN of the investee
iii. Amount of investment in such investee at the end of the year</td><td></td></tr>
<tr><td>h)</td><td>Whether it has loans or borrowings, as defined in Explanation 2 to clause (23FE) of section10, directly or indirectly, for the purposes of making investment in India</td><td>Yes/No</td></tr>
<tr><td>i)</td><td>If answer to (h) is yes, then provide the following details:
i. Name of the person from whom such loan or borrowing has been taken
ii. Amount of loan or borrowing at the beginning of the year
iii. Amount of loan or borrowing received during the year
iv. Amount of loan or borrowing repaid during the year
v. Amount of loan or borrowing at the end of the year</td><td></td></tr>
</table>

j)	*Whether separate segmented account is maintained for income and investment in respect ofinvestment which qualifies for exemption under clause (23FE) of section 10 of the Act*	*Yes/No*
k)	*Whether it is liable to tax in such foreign country;*	*Yes/No*
l)	*In answer to (k) is yes, then whether exemption from taxation for all its income has been provided by such foreign country;*	*Yes/No*
m)	*Quarter for which the intimation in Form No. 10BBB has been filed during the previous year.*	*See note 8****

Verification†

It has been ensured that the information furnished is true and correct in all respects and no relevant information has been concealed or withheld.

2. Neither I, nor any of my partners, is a director, partner or an employee of the above-mentioned entities or its associated concerns.

3. I/ we fully understand that any statement made in this certificate, if proved incorrect or false, will render me/us* liable for any penal or other consequences as may be prescribed in law or is otherwise warranted.*

Verified today the _____ day of _____

Place _____

(Signature and Stamp/ Seal of the Signatory)

†Accountant_____

Name of the Signatory_____

Membership No._____

Notes:

*1. *Delete whichever is not applicable.*

2. †This ***certificate*** *is to be given by an accountant as defined in the Explanation below sub-section (2) of section 288 of the Act.*

3. $One of the following codes is to be selected:

Nature of Investment	***Code***
Debt	*1*
Equity	*2*
Preference Shares	*3*
Others (Please specify)	*4*

4. #One of the following codes is to be selected:

Nature of Income	***Code***
Interest	*1*
Dividend	*2*
Capital Gains	*3*
Others	*4*

5. ^One of the following codes is to be selected:

Nature of entity in which investment is made	***Code***
Business Trust referred to in item (a) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act	*1*
Company or enterprise or entity referred to in item (b) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act	*2*
Alternative Investment Fund referred to in item (c) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act	*3*
Domestic company referred to in item (d) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act	*4*
Infrastructure Finance Company/Infrastructure Debt Fund-NBFC referred to in item (e) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act	*5*

6. $$One or more of the following codes is to be selected:

Purpose of the plan/fund	***Code***
Retirement	*1*
Social Security	*2*
Employment	*3*
Disability	*4*
Death benefits	*5*
Similar compensation (please specify)	*6*

7. ##One of the following codes is to be selected:

Nature of the plan/fund	***Code***
Pension Fund	*1*
Sovereign Wealth Fund	*2*
Others	*3*

*8. ***One or more of the following codes is to be selected:*

Intimation in form 10BBB	***Code***
Quarter ending 30th June of the previous year	*1*
Quarter ending 30th September of the previous year	*2*
Quarter ending 30th December of the previous year	*3*
Quarter ending 30th March of the previous year	*4*

.";

(iii) After Form No. 10BBC, the following Form shall be inserted, namely :-

"Form 10BBD

[See rule 2DCA]

[e-form]

Statement of eligible investment received

1. Name of the Assessee :
2. PAN/ AADHAAR :
3. Previous Year :

Part A (details of eligible investments received, on or after the date of notification of the specified person, from (i) specified person or (ii) Alternative Investment Fund out of the investment of specified person)

Sl. No.	Name of specified person/ Alternative Investment Fund	PAN of specified person/ Alternative Investment Fund	Opening balance of such *eligible investments* received from specified person/ Alternative Investment Fund (In Rs)	*Such eligible investments* received during the year from the specified person/ Alternative Investment Fund (In Rs)	*Such eligible investments* returned during the year to the specified person/ Alternative Investment Fund (In Rs)	Closing balance of such *eligible investments* received from the specified person/ Alternative Investment Fund (In Rs)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
Total						

Part B

(Details of all the investments made out of the eligible investments listed in Part A

(to be filed separately for each specified person or Alternative Investment fund)

I. Name of the specified person/ Alternative Investment fund

II. Sl no in Part A

Date of investment	Nature of investment (Note C) $	Details of the entity in which Investment is made			Opening balance of the investment (In Rs)	Amount of investment made during the year (In Rs)	Amount of investment sold/liquidated during the year (In Rs)	Date of investment or date of sale/liquidation, as the case may be	Closing balance of the investment (In Rs)	Nature of income (note D) *	Amount of income on investment during the year (In Rs)	Out of the income in column 12, nature of income to the specified person/ Alternative Investment Fund (note D) (In Rs) *	Amount of income to the specified person/ Alternative Investment Fund (In Rs)
		Nature of entity (note E) **	Name of the entity	PAN of the entity									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Part C [details of investments received from (i) specified person or (ii) Alternative Investment Fund listed in Part A, but the investment not covered in Part A

Sl. No.	Name of specified person/ Alternative Investment Fund, listed at Part A	PAN of specified person/ Alternative Investment Fund	Opening balance of the *investments* received from specified person/ Alternative Investment Fund not covered in Part A	*Investments* received during the year from the specified person/ Alternative Investment Fund not covered in Part A	*Such investments* returned during the year to the specified person/ Alternative Investment Fund	Closing balance of Such *investments* received from the specified person/ Alternative Investment Fund
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
Total						

Part D

(Details of all the investment made out of investment listed in Part C

I. Name of the specified person/ Alternative Investment fund

II. Sl no in Part C

Date of invest ment	Nature of invest ment (Note C) $	Details of the entity in which Investment is made			Opening balance of the invest-ment	Amoun t of invest ment made during the year	Amou nt of invest ment sold/li quidat ed during the year	Date of investment or date of sale/liquid ation, as the case may be	Closing balance of the investm ent	Nature of income (note D) *	Amount of income on investm ent during the year	Out of the income in column 12, nature of income to the specifie d person/ Alternat ive Investm ent Fund (note D) *	Amount of income to the specifie d person/ Alternat ive Investm ent Fund (Rs)
		Nature of entity (note E) **	Name of the entity	PAN of the entity									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Declaration

I, _____ (Name in full and in block letters) son/daughter/wife……..on behalf of the ……..(Name of Alternative Investment Fund, domestic company and non-banking finance company) _____ do hereby declare that to the best of my knowledge and belief what is stated in the form above is correct and complete;

I further declare that I am furnishing such statement in my capacity as_____ (designation) and that I am competent to make this declaration and furnish this statement.

Place:

Date:

Yours faithfully,

Signature …….…….

Name……

Designation……....……

Notes

(A) The total of the column no 10 in table in Part B should tally with the total of column no 7 in table in Part A except for the amount which has not been invested so far.

(B) The total of the column no 10 in table in Part D should tally with the total of column no 7 in table in Part C except for the amount which has not been invested so far.

(C) $ One of the following codes is to be selected:

Nature of Investment	Code
Debt	1
Equity	2
Preference Shares	3
Others (Please specify)	4

(D) *One of the following codes is to be selected:

Nature of Income	Code
Interest	1
Dividend	2
Capital Gains	3
Others	4

(E) **One of the following codes is to be selected:

Nature of entity in which investment is made	Code
Business Trust referred to in item (a) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10	1
Company or enterprise or entity referred to in item (b) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 *of the Act*	2
Alternative Investment Fund referred to in item (c) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 *of the Act*	3
Domestic company referred to in item (d) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 *of the Act*	4
Infrastructure Finance Company/Infrastructure Debt Fund-NBFC referred to in item (e) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 *of the Act*	5
Not invested so far	6
Others (Please specify)	7”.

[Notification No. 50/2022/F. No. 370142/2/2022-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub section (ii), *vide* notification number S.O. 969 (E) dated the 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 339(E) dated 5th May, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.06 22:47:05 +05'30'